



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक: 6174/कु0का0/2025

दिनांक: 23/07/2025

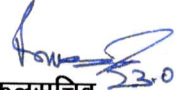
सेवा में,
प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध-महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषय: स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय/विज्ञान संकाय/विधि संकाय/कृषि संकाय/शिक्षा संकाय/बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ से सम्बद्ध अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय/विज्ञान संकाय/विधि संकाय/कृषि संकाय/शिक्षा संकाय/बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 में जिन महाविद्यालयों ने स्थायी सम्बद्धता नहीं प्राप्त किया है, मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे समस्त महाविद्यालय नियमानुसार सभी निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर संदर्भित विषयों/पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पत्रावली विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत कर 30 जून 2025 के पूर्व सम्बद्धता प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में 01 जुलाई 2025 से महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय


कुलसचिव 23.07.25

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

1
कुलसचिव